तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर [illegible] अहका[illegible] हुक्म की [illegible] में ज[illegible]

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी

दावा

मु.नं. - 121/2024

7.4.25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9-4-25 को पेश हो।

09-04-25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-4-25 को पेश हो।

21.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

30.04.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती [illegible] स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर [illegible]पत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जा[illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित [illegible]यानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
121 / 2024	2024 / 336	07.10.2024	30.04.2025

उनवान प्रकरण

1. श्रवण पुत्र शिवसहाय आयु 46 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नावलाई तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2061 / 779 रकबा 0.2466 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम उसवाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) मे खाता संख्या नया 484 पुराना 359 मे वादी के पिता का नाम श्योसहाय गलत अंकित है। जबकि वादी के पिता का नाम शिवसहाय पुत्र भूरामल है। जो सही एव रिकार्डेड है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 977/466 रकबा 0.2900 हैक्टर व खसरा नम्बर 987/470 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 हैक्टर खाता संख्या नया 302 पुराना खाता संख्या 150 अवस्थित तन ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर मे भी वादी के पिता का नाम श्योसहाय गलत अंकित हैं जो दुरूस्त कर शिवसहाय किया जाना आवश्यक है। वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से दर्ज होने से वादी ने हल्का पटवारी व प्रतिवादी को निवेदन किया कि उक्त नाम दुरूस्त कर दिया जावे तो उन्होने न्यायालय मे आदेश लाने की कही। इसलिए वादी उक्त दुरूस्ती करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। वादी का पिता का नाम गलत अंकित हो जाने से वादी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली काश्तकारो की सुविधा का उपयोग वादी नही कर पा रहा हैं और न ही वादी उक्त भूमि की के.सी.सी. का लाभ उठा सकता हैं। इस कारण यह दुरूस्ती का दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड मे भी वादी के पिता का नाम शिवसहाय हैं न कि श्योसहाय तथा वादी के शिक्षा के दस्तावेज मे भी वादी के पिता का नाम शिवसहाय हैं न कि श्योसहाय। इस कारण वादी अपनी खातेदारी की जमीनों मे अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी हैं जिसकी घोषणा करवाने हेतु वादी न्यायालय के समक्ष वादपत्र लेकर आया हैं। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी राजस्व अधिकारी होकर राजस्व रिकार्ड का संधारण करने वाला अधिकारी हैं। इस कारण प्रतिवादी के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वादी को काश्तगार होने के नाते भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा काश्तकार को दी [illegible] हेतु शीघ्र आवेदन करना हैं। इस कारण मामला आवश्[illegible] भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी [illegible] / आर्थिक मदद हेतु आवेदन किया तो पिता का गलत नाम होने व वादी के दस्ता[illegible]ो मे अंकित नाम का बेमेल होने

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

से उक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उक्त गलती की जानकारी वादी को उक्त आवेदन के समय अर्थात करीब 1 माह पूर्व हुयी है। इस कारण वादकारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड इस आशय की पारित की जावे कि तन ग्राम [illegible] पटवार हल्का मऊ के खाता संख्या नया 484 पुराना 359 मे वादी के पिता का नाम जो श्योसहाय गलत अंकित है उसको शिवसहाय दुरूस्त करने के आदेश प्रतिवादी को दिये जावे। इसी प्रकार ग्राम नावलाई मे भी अभिलेख खाता संख्या नया 302 पुराना 150 मे भी वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय अंकित कर दुरूस्त किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने बाबत आदेश प्रतिवादी को दिये जाने का निवेदन अपने वादपत्र मे किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 715/भू.अ./2025 दिनांक 27.02.2025 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का बागरियावास से जाँच करवाई जाकर अपनी जाँच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि में श्रवण पुत्र श्योसहाय नाम विरासत से आया हुआ है। श्रवण पुत्र शिवसहाय नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम नावलाई में नहीं है। श्रवण पुत्र श्योसहाय व श्रवण पुत्र शिवसहाय दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रकरण में वकील वादी ने वाद पत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील [illegible] सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी [illegible] गौर मनन किया। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, 2009–2013, 2018–2021, 2022–2025, 2030–2033, 2034–2037, 2042, 2044–2047, 2048–2051, 2052–2055, 2056–2059, 2060–2063, 2064–2067, 2068–2071, 2072–2075, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, सरपंच, ग्राम पंचायत बागरियावास द्वारा नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वादी, पटवारी हल्का बागरियावास की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2061/779 रकबा 0.2466 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) एंव भूमि खसरा नम्बर 977/466 रकबा 0.2900 हैक्टर, 987/470 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में खातेदारी श्रवण पुत्र श्योसहाय के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि अन्य दस्तावेजात् यथा मतदाता सूचि, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, सरपंच, ग्राम पंचायत बागरियावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम शिवसहाय अंकित होना प्रकट होता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत बागरियावास ने अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्योसहाय पुत्र भूरामल व शिवसहाय पुत्र भूरामल शर्मा एक व्यक्ति के ही नाम होना अंकित किया है। वादी के पिता श्योसहाय पुत्र भूरामल व शिवसहाय पुत्र भूरामल शर्मा एक ही व्यक्ति का नाम होना रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी के पि[illegible] श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय शुद्ध किया जाकर दुरुस्त किया जाना न्याय[illegible] होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2061/779 रकबा 0.2466 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) एवं भूमि खसरा नम्बर 977/466 रकबा 0.2900 हैक्टर, 987/470 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय उर्फ श्योसहाय घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)